अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–810 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 16.06.2026

1. शरफे आलम पुत्र अनवारूल इमाम.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : मो0 आफताब अहमद सिद्धिकी, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

16-06-2026

1. आवेदक / अभियुक्त **शरफे आलम** की तरफ से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत कमतौल थाना कांड संख्या–131 / 25, अन्तर्गत धारा–303(2) बी0एन0एस0, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. उक्त आवेदन पर आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद संक्षेप में सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 26.06.2025 को करीब शाम 7 बजे अपना दुकान बंद कर घर चले गए जब दिनांक 27.06.2025 को सुबह 7.30 बजे आये तो देखा कि गेट का ताला तोड़कर महिन्द्रा कंपनी का ट्रैक्टर नंबर BR32GA-6104 और टेलर नंबर BR32GA-6105 उसकी पत्नी सीमा देवी के नाम से है चोरी हो गई है। वह अपने स्तर से काफी खोजबीन किया पर कुछ पता नहीं चल पाया। उसे संदेह है कि रात्रि में उसका ट्रैक्टर, टेलर अज्ञात चोरों के द्वारा चुराया गया है।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और ना ही लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध एक केस का आपराधिक इतिहास है। आवेदक बिल्कूल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को पुलिस के द्वारा बिना कोई सकारात्मक साक्ष्य के इस केस में फंसाया गया है केवल स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, जिसका कोई विधिक मूल्य नहीं है। आवेदक के कब्जे से कोई भी चोरी की वस्तु बरामद नहीं किया गया है और न ही अन्य अभियुक्तों से कोई संबंध है। आवेदक को स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस केस में फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त स्थानीय है तथा न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि का बंधपत्र देने

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 16.06.2026**

को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कांड धारा–303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक / अभियुक्त इस कांड के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की कोई वस्तु बरामद नहीं की गई है। कंडिका 46 में सह–अभियुक्त नैयर इमाम उर्फ नेताजी स्वीकारोक्ति बयान अंकित है जिसमें आवेदक / अभियुक्त की संलिप्तता स्वीकार किया है। कंडिका 53 में सह–अभियुक्त रामप्रवेश महतो के निशानदेही पर चोरी गयी महिन्द्रा ट्रैक्टर विजय कुमार सिंह के द्वारा पर से बरामद किया गया। आवेदक के कब्जे से कोई भी चोरी की वस्तु बरामद नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा कहा गया है कि वह इस तरह के घटना में शामिल नहीं होगा। काण्ड दैनिकी की कंडिका 32 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध दो कांडों का आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर है। इस कांड में अभी भी अनंसुधान जारी है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक / अभियुक्त **1. शरफे आलम** को धारा–482 BNSS के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में 10,000 / –(दस हजार) रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंध पत्र देने पर इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– 1. एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा 2. आवेदक इस कांड के अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0 / –
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	16-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	16-06-2026
Uploading Date	19-06-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)